न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
प्रकरण संख्या 109/2025 (GCMS: 2025/437)
(RTI No. : 212488287857509)

श्री आशीष कुमार पुत्र श्री शिव कुमार चक 19 केएनडीबी, तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 63763–20114)

<u>बनाम</u>

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) रावला

<u>30.12.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी आशीष कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी आशीष कुमार ने सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रावला से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.09.2025 से चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी आशीष कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.09.2025 के द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रावला से निम्न चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. दिनांक 08.07.2025 को रजि. डाक द्वारा मेरे पिता श्री शिवकुमार की ओर से आपके कार्यालय में एक शिकायत/आवेदन भेजा गया था, कृपया बताने की कृपा करें कि उक्त शिकायत/आवेदन की वर्तमान स्थिति क्या है?
2. उस पर अब तक क्या–क्या कार्यवाही की गई, कृपया अभिलेखों सहित सूचित करें।
3. यदि कार्यवाही लम्बित है तो उसमें विलम्ब का कारण क्या है? एवं अंतिम निर्णय/निपटारा कब तक अपेक्षित है?
4. उक्त शिकायत/आवेदन पर कार्यवाही हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम बताने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रावला ने अपने पत्रांक सू.का.अ./2025/96 दिनांक 18.12.2025 से अपीलार्थी को दिये गये जवाब की प्रति प्रेषित की है और सहायक लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक सू.का.अ./2025/91 दिनांक 15.12.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब भिजवाया गया है :

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

आरटीआई प्रकरण संख्या 109/2025
(GCMS: 2025/437)
(RTI No. 212488287859506)

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना चाही गयी है, निम्नानुसार प्रेषित है:

क्र. सं.	चाही गई सूचना का विवरण	सूचना का विवरण
1	दिनांक 08.07.2025 को रजि. डाक द्वारा मेरे पिता श्री शिवकुमार की ओर से आपके कार्यालय में एक शिकायत/आवेदन भेजा गया था, कृपया बताने की कृपा करें कि उक्त शिकायत/आवेदन की वर्तमान स्थिति क्या है?	उक्त आवेदन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सिंचाई विभाग से की जानी है, अतः आवेदन को अधिशाषी अभियंता,सिंचाई विभाग, घडसाना को पत्रांक रीडर/3141/18.08.25 द्वारा भिजवा दिया गया था।
2	उस पर अब तक क्या–क्या कार्यवाही की गई, कृपया अभिलेखों सहित सूचित करें।	
3	यदि कार्यवाही लम्बित है तो उसमें विलम्ब का कारण क्या है? एवं अंतिम निर्णय/निपटारा कब तक अपेक्षित है?	
4	उक्त शिकायत/आवेदन पर कार्यवाही हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम बताने की कृपा करें।	

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रावला ने अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र का सम्बन्ध अधिशाषी अभियंता, सिचाई विभाग, घडसाना से होने के कारण उन्हें हस्तांतरित कर दिया था और अपीलार्थी को सूचित भी किया गया था। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत सिंचाई विभाग द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है।** इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज की जाती है। प्रार्थी यदि अधिशाषी अभियंता, सिंचाई विभाग, घड़साना के जवाब से असंतुष्ट हो तो उनके सक्षम प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की [illegible] क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रावला** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को [illegible] निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर [illegible]

यह आदेश आज दिनांक 30.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:33 IST
Reason: SelfAttested